भारत पर्यटन वकास निगम लमटेड

संबंधत पार्टी लेनदेन और संबंधत पार्टी लेनदेन के महत्व पर नीति

कंपनी अधनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) वनियम, 2015 के प्रासंगक प्रावधानों के अनुपालन में, जो संबंधत पार्टी लेनदेन में प्रवेश करने के लए अभशासन, रिपोर्टिंग और प्रक्रया के लए रूपरेखा निर्धारित करता है। सेबी (एलओडीआर) वनियम, 2015 ("वनियम 23") की आवश्यकता है क कंपनी संबंधत पार्टी पार्टी लेनदेन के महत्व और संबंधत पार्टी लेनदेन के कार्य-व्यवहार पर भी एक नीति तैयार तैयार करेगी। सेबी (एलओडीआर) वनियम, 2015 की इस आवश्यकता के अनुसरण में, कंपनी ने समय-समय पर संबंधत पार्टी लेनदेनों की पहचान, समीक्षा और अनुमोदन से संबंधत इस संबंधत पार्टी लेनदेन नीति को अपनाया है और संशोधत कया है।

प्रयोज्यता:

यह नीति कंपनी और इसकी संबंधत पार्टियों के मध्य सभी लेनदेनों पर लागू होगी।

कार्यक्षेत्र तथा प्रयोजन:

यह नीति, कंपनी अधनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) वनियम, 2015 के लागू/प्रासंगक प्रावधानों का अनुपालन करने के लए तैयार की गई है। कंपनी अधनियम, 2013 के लागू प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों या सेबी (एलओडीआर) वनियम, वनियम, 2015 में इस संबंध में कसी भी अनुवर्ती संशोधन/आशोधन को इस नीति में स्वतः समावष्ट माना जाएगा और इसे लेखापरीक्षा समति द्वारा की गई सफारिशों पर वचार के लए बोर्ड के निदेशकों के समक्ष रखा जाएगा।

परिभाषाएँ:

"अधनियम" का अर्थ कंपनी अधनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों से होगा, जिसमें कोई भी आशोधन, संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र या उसका पुनः अधनियमन शामल है।

"असंबंधत लेनदेन" का अर्थ दो संबंधत पार्टियों के मध्य एक ऐसा लेनदेन है, जो इस तरह से कया जाता है, जैसे क वे असंबंधत थे, ताक हितों का कोई टकराव न हो।

कसी अन्य कंपनी के संबंध में, एक ऐसी कंपनी है, जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी शामल है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लए, -

कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण या एक करार के तहत व्यावसायिक निर्णयों का नियंत्रण या भागीदारी।

एक संयुक्त व्यवस्था, जिसके द्वारा व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाली पार्टियों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों का अधकार होता है।

कंपनी अधनियम, 2013 के प्रावधानों और सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताओं (एलओडीआर) के तहत गठित कंपनी के बोर्ड की "लेखापरीक्षा समति"।

कंपनी के निदेशकों का एक सामूहिक निकाय (*कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 2(10)*)

भारत पर्यटन वकास निगम लमटेड।

"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मक" का अर्थ है, कंपनी अधनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मक।

"पार्टी लेनदेन संबंधत महत्व": का अर्थ है, एक संबंधत पार्टी के साथ लेनदेन, जहां एक लेनदेन / व्यक्तिगत रूप से दर्ज कया जाता है /कए जाते हैं या एक वत्त वर्ष के दौरान संबंधत पार्टी के साथ पछले लेनदेन के साथ एक साथ कया गया लेनदेन, जो कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षत वत्तीय ववरण के अनुसार एक हजार करोड़ रुपए से अधक या कंपनी हो।

उपरोक्त के बावजूद, ब्रांड के उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधत पार्टी को कए गए यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से या कसी वत्त वर्ष के दौरान पछले लेनदेन कया गया लेनदेन या, तो सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षत वत्तीय ववरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई का वार्षक समेकत कारोबार दो प्रतिशत से अधक दर्ज कया हो।

"महत्वपूर्ण आशोधन" लेखापरीक्षा समति, बोर्ड के निदेशकों या शेयरधारकों द्वारा

अनुमोदित एक महत्वपूर्ण संबंधत पार्टी लेनदेन, जैसा भी मामला हो, के संबंध में, महत्वपूर्ण आशोधन का अर्थ है लेखापरीक्षा समति या शेयरधारकों द्वारा पहले से ही अनुमोदित

कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के प्रचालनों और गतिवधयों को सामान्य रूप से संचालत जिन्हें कंपनी संस्था ज्ञापन एवं अंतर्नियमों के अनुसार कर सकती है।

नीति" का अर्थ है, समय-समय पर यथा संशोधत कंपनी की संबंधत पार्टी लेनदेन नीति।

"संबं धत पार्टी का अर्थ है, एक व्यक्ति या कंपनी:

2013 की धारा 2(76) के अधीन एक संबंधत पार्टी है; या

(ii) जो सेबी (एलओडीआर) वनियमों के वनियम 2(1)(जेडबी) के तहत एक संबंधत पार्टी है।

(iii) जो लागू लेखा मानकों के तहत एक संबंधत पार्टी है।

<u>कंपनी अधनियम 2013 के अनुसार</u>: अधनियम की धारा 2(76) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, संबंधत पार्टी निम्नप्रकार है-

(iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी भागीदार है;

(iv) एक निजी कंपनी, जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक या उसका संबंधी एक सदस्य या निदेशक है;

एक निदेशक है और अपने संबंधयों के साथ उसकी प्रदत शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधक रखता है;

(vi) कोई भी निगम, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक कसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी है।

(vii) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी हो;

बशर्ते क उप-खंड ( ) और () में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा;

जो-

क) ऐसी कंपनी की नियंत्रक, सहायक या सहयोगी कंपनी है; या
जिसके लए यह एक सहायक कंपनी भी है; या

ग) एक निवेश कंपनी या कंपनी की उद्यमकर्ता कंपनी है;
जिसका कंपनी में निवेश के परिणामस्वरूप कंपनी निगमत निकाय की सहयोगी कंपनी बन जाएगी।]

<u>सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटण आवश्यकताएँ) वनियम, 2015 के अनुसार:</u> वनियम 2(1)(जेड बी) में कहा गया है क संबंधत पार्टी कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (76) के तहत या लागू लेखा मानकों के तहत परिभाषत है:

बशर्ते क

(क) सूचीबद्ध इकाई के प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का भाग बनने वाला कोई व्यक्ति या संस्था; या

(ख) इक्विटी शेयर रखने वाला कोई व्यक्ति या संस्था:

(i) बीस प्रतिशत या अधक; या

सीधे या लाभकारी ब्याज के आधार पर सूचीबद्ध इकाई, तत्काल पूर्ववर्ती वत्त वर्ष के दौरान कसी भी समय, एक संबंधत पार्टी मानी जाएगी।

<u>लागू लेखा मानकों के अनुसार:</u> संबंधत पार्टियां निम्नप्रकार हैं:

(क) उद्यम, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधक मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से, नियंत्रण करते हैं, या नियंत्रित होते हैं, या रिपोर्टिंग उद्यम के साथ सामान्य नियंत्रणाधीन हैं (इसमें नियंत्रक कंपनियां, सहायक और साथी सहायक कंपनियां शामल हैं);

(ख) रिपोर्टिंग उद्यम के सहयोगी और संयुक्त उद्यम और निवेश करने वाली पार्टी या उद्यम, जिसके संबंध में उद्यम एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम है;

(ग) उद्यम की मतदान शक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुच रखने वाले व्यक्ति, जो उन्हें उद्यम पर नियंत्रण देता है या महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, और ऐसे कसी भी व्यक्ति के संबंधी;

(घ) प्रमुख प्रबंधक वर्ग कार्मक और ऐसे कार्मक के संबंधी; तथा

(ड.) उद्यम, जिन पर (ग) या (घ) में वर्णत कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है। इसमें वे उद्यम शामल हैं, जिनके पास रिपोर्टिंग उद्यम में भी समान प्रमुख प्रबंधकवर्ग का सदस्य है।

उपर्युक्त लेखा मानकों का खंड 10, कुछ शर्तों को परिभाषत करता है, जो संबंधत पार्टी संबंधों को सुनिश्चित करने के लए भी प्रासंगक हैं और वे निम्नप्रकार हैं:

संबंधत पार्टी

दूसरी पार्टी को वत्तीय और/या प्रचालन निर्णय लेने में नियंत्रित करने या दूसरी पार्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की योग्यता रखती है।

संबंधत पार्टी लेनदेन

संबं धत पार्टियों के मध्य संसाधनों या दायित्वों का लेनदेन, चाहे कोई मूल्य प्रभारित कया गया हो या नहीं।

नियंत्रण

(क) कसी उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अ धक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वा मत्व, या

(ख) कसी कंपनी के मामले में बोर्ड के निदेशकों का गठन या कसी अन्य उद्यम के मामले में संबंधत शासी निकाय के गठन का नियंत्रण, या

(ग) मतदान शक्ति और उद्यम की वत्तीय और/या प्रचालन नीतियों, संवध या करार द्वारा निर्देशत करने की शक्ति में पर्याप्त रुच।

महत्वपूर्ण प्रभाव

कसी उद्यम के वत्तीय और/या प्रचालन नीति निर्णयों में भागीदारी, कंतु उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं।

सहयोगी

एक उद्यम, जिसमें एक निवेश करने वाली रिपोर्टिंग पार्टी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो एक सहायक है और न ही उस पार्टी का संयुक्त उद्यम है।

संयुक्त उद्यम

एक संवदात्मक व्यवस्था, जिसके तहत दो या दो से अधक पार्टियां एक आर्थक गतिवध करती हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

संयुक्त नियंत्रण

एक आर्थक गतिवध की वत्तीय और प्रचालन नीतियों को नियंत्रित करने के लए शक्ति के साझाकरण पर संवदात्मक रूप से सहमति,

ताक इससे लाभ प्राप्त कया जा सके।

"संबंधत पार्टी लेनदेन (आरपीटी)": कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार सेबी कंपनी और अन्य भी संबंधत पार्टी के मध्य संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण के लए, कसी भी लेनदेन से इस पर ध्यान दिए बिना क क्या मूल्य प्रभारित कया गया है और इसमें निम्नलखत शामल हैं:

क) कसी भी वस्तु या सामग्री का वक्रय, क्रय या आपूर्ति;
ख) कसी भी प्रकार की संपत्ति का वक्रय या अन्यथा निपटान या, क्रय;
ग) कसी भी प्रकार की संपत्ति को पे पर देना;
घ) कसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;
ङ) वस्तुओं, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति के वक्रय या क्रय के लए कसी एजेंसी की नियुक्ति;
च) कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में कसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसी संबंधत पार्टी की नियुक्ति; तथा
छ) कंपनी की कसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न के अंशदान का जिम्मा लेना।

एक लेनदेन, जिसमें एक ओर कंपनी या उसकी कसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर कंपनी की संबंधत पार्टी या उसकी कसी सहायक कंपनी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का लेनदेन सम्मिलत है, भले ही कोई मूल्य प्रभारित कया गया हो और एक संबंधत पार्टी के साथ "लेनदेन" को एक संवदा में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को सम्मिलत करने के लए माना जाएगा।

कंपनी अधनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यथा निर्दिष्ट इस तरह के अन्य लेनदेन सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटण आवश्यकताएं) वनियम, 2015 के साथ पठित और भारतीय लेखा मानकों में कसी भी संशोधन या आशोधनों सहित, जैसे भी लागू हो सकते हैं।

संबंधत पार्टी लेनदेन नहीं होंगे:

क) भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटन आवश्यकताएं) वनियम, 2018 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, अधमान्य आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का मुद्दा;

ख) कंपनी द्वारा निम्नलखत निगमत कार्रवाइयां, जो सभी शेयरधारकों पर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू होती हैं/को प्रस्तावत की जाती हैं:

i. लाभांश का भुगतान;

ii. प्रतिभूतियां का आगे वभाजन या समेकन;

iii. अधकार निर्गम या बोनस निर्गम के जरिए प्रतिभूतियां जारी करना; तथा

iv. प्रतिभूतियों को वापस खरीदना।

का कसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, अर्थ कसी से भी है, जो दूसरे से संबंधत है, यदि

() वे हिंदू अवभाजित परिवार के सदस्य हैं;
() वे पति और पत्नी हैं; या
() एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार संबंधत है:

(क) पता (सौतेले पता सहित)
(ख) माता (सौतेली माता सहित)
(ग) पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
(घ) पुत्र की पत्नी
(ङ) बेटी
(च) बेटी का पति
(छ) भाई (सौतेले भाई सहित)
(ज) माता (सौतेली माता सहित)

"सेबी" का अर्थ, भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड अधनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के तहत स्थापत भारतीय प्रतिभूति और वनिमय बोर्ड है।

"लेनदेन": एक संबंधत पार्टी के साथ लेनदेन को संवदा में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को शामल करने के लए माना जाएगा।

यहां परिभाषत नहीं कए गए कसी भी अन्य शब्द का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधनियम, अधनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर), प्रतिभूति संवदा (वनियम) अधनियम, 1956 या

संशोधन या आशोधन शामल है।

संबंधत पार्टी लेनदेन की नीति का महत्व

संबंधत पार्टी के साथ लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि एक संबंधत पार्टी के साथ लेनदेन व्यक्तिगत रूप से दर्ज कया जाता है/कए जाते हैं या एक वत्त वर्ष के दौरान संबंधत पार्टी के साथ पछले लेनदेन के साथ एक साथ कया गया लेनदेन, जो आईटीडीसी के अंतिम लेखापरीक्षत वत्तीय ववरण के अनुसार एक हजार करोड़ रुपए से अधक या हो।

संबंधत पार्टी लेनदेन से कार्य-व्यवहार पर नीति

संबंधत पार्टी लेनदेनों की समीक्षा और अनुमोदन

- सभी संबंधत पार्टी लेनदेन और बाद में महत्वपूर्ण आशोधन, चाहे वे बैठक में हों या परिचालन द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संकल्प द्वारा, कंपनी की लेखापरीक्षा समति के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे। यह स्पष्ट कया जाता है क मौजूदा संबंधत पार्टी लेनदेन में कसी भी आशोधन के लए भी लेखापरीक्षा समति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। समति का कोई सदस्य, जो (यदि) कसी भी संबंधत बैठक में उपस्थित रह सकता है लेकन संबंधत लेनदेन को अनुमोदन देने के लए भले ही इकाई वशेष लेनदेन के लए एक पार्टी हो या नहीं और जब इस तरह के लेनदेन पर वचार कया जाता है तो कोरम की उपस्थिति के निर्धारण करने में गना नहीं जाएगा।

- बशर्ते, इसके अलावा एक संबंधत पार्टी लेनदेन, जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी को कंपनी की लेखापरीक्षा समति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, चाहे इस तरह के लेनदेन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज कया जाता है या एक वत्त वर्ष के दौरान पछले लेनदेन के साथ एक साथ कया गया लेनदेन, जो कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षत वत्तीय ववरण के अनुसार कंपनी के वार्षक समेकत कुल कारोबार के दस प्रतिशत से अधक है।

- कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच कए गए लेनदेन, जिनके लेखे कंपनी के साथ समेकत हैं और कंपनी के शेयरधारकों के

  जिनके लेखाओं को ऐसी नियंत्रक कंपनी के साथ समेकत कया जाता है और अनुमोदन के लए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखा जाता है।

- सभी महत्वपूर्ण संबंधत पार्टी लेनदेनों और बाद में महत्वपूर्ण आशोधनों के लए संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधत पार्टी ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के लए मतदान नहीं करेगी, चाहे इकाई वशेष लेनदेन के लए एक संबं धत पार्टी है या नहीं। अ धनियम की धारा 188 (1) के तहत यथा निर्दिष्ट संबं धत पार्टी (अ धनियम के तहत परिभा षत) और जो या तो "असंबंधत के आधार पर नहीं हैं" या व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं ("निर्दिष्ट आरपीटी") को भी अधनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

क. लेखापरीक्षा समति:

क1. लेखापरीक्षा स मति आरपीटी के अनुमोदन के लए, निम्न ल खत पर वचार करते समय सभी प्रासं गक कारकों पर वचार करेगी:

i. क्या संबं धत पार्टी लेनदेन की शर्तें कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और असंबं धत के आधार पर हैं;
ii. कंपनी द्वारा संबं धत पार्टी लेनदेन में प्रवेश करने के व्यावसायिक कारण और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो;
iii. क्या संबं धत पार्टी लेनदेन में कोई संभा वत प्रतिष्ठा जो खम शा मल है, जो प्रस्ता वत लेनदेन के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकता है; तथा
iv. क्या संबं धत पार्टी लेनदेन कंपनी के कसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक के लए लेनदेन के आकार, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक या अन्य संबं धत पार्टी की समग्र वत्तीय स्थिति, लेनदेन में निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय का र्मक या अन्य संबं धत पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकृति के हित और कसी भी प्रस्ता वत संबंध की चल रही प्रकृति और स मति

द्वारा प्रासं गक समझे जाने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता को प्रभा वत करेगा या हितों का टकराव प्रस्तुत करेगा।

खुद को अलग कर लेगा और चर्चा से दूर रहेगा और संबंधत पार्टी लेनदेन को अनुमोदन देने के लए मतदान नहीं करेगा। एक संबंधत पार्टी लेनदेन, जो

या

जैसाक बाद में चर्चा की गई है।

क3. लेखापरीक्षा समति संबंधत पार्टी लेनदेन के लए सार्वत्रिक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, जो पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं और ऐसे मानदंडों /शर्तों के अधीन हैं, जैसाक एलओडीआर के प्रावधानों और ऐसी अन्य शर्तों के तहत उल्लिखत है, जो इस नीति के अनुरूप और कंपनी के हित में आवश्यक समझे जा सकते हैं। ऐसे सार्वत्रिक अनुमोदन एक वर्ष से अधक की अवध के लए वैध नहीं होंगे और एक वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सार्वत्रिक अनुमोदन निम्नलखत को निर्दिष्ट करेगा:

	ववरण
1	संबंधत पार्टी (पार्टियों) का /के नाम, लेनदेन की प्रकृति, जो दर्ज की जाएगी
2	यदि कोई हो

ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें लेखापरीक्षा समति द्वारा उपयुक्त समझा जाए: बशर्ते क, जहां संबंधत बशर्ते क उनका मूल्य प्रति लेनदेन एक करोड़ रुपए से अधक न हो।

क4. लेखापरीक्षा समति तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा कए गए संबंधत पार्टी लेनदेन के जो सार्वत्रिक अनुमोदन के अनुसरण मे होगी। संबंधत पार्टी लेनदेन की कसी भी समति के पास इस नीति की कसी भी प्रक्रयात्मक आवश्यकताओं को आशोधत करने या छोड़ने का अधकार है।

अनुसमर्थन के लए समति के समक्ष रखे जाएंगे।

जो इस नीति के अनुसार नहीं हैं।

निदेशक बोर्ड

i. यदि कसी भी संबंधत पार्टी लेनदेन (आरपीटी) को कंपनी द्वारा बोर्ड के पास अनुमोदन के लए भेजा जाता है

या

प्रभावत होंगे।

मूल्य निर्धारण का तरीका और ऐसे लेनदेन करने के लए व्यावसायिक तर्क जैसे घटकों पर वचार करेगा। इस प्रकार वचार करने पर, जैसा उन परिस्थितियों में उ चत लगे, बोर्ड लेनदेन को अनुमोदन प्रदान कर सकता है या लेनदेन की शर्तों में संशोधन की अपेक्षा कर सकता है।

वह स्वयं को इससे अलग रखेगा और चर्चा से दूर रहेगा और संबंधत पार्टी लेनदेन को अनुमोदन देने के लए मतदान नहीं करेगा।

शेयरधारकों की स्वीकृति:

i. यदि संबंधत पार्टी लेनदेन

अथवा

तो इसके लए एक संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन की ऐसे संबंधत पार्टी लेनदेन को अनुमोदन देने के लए मतदान नहीं करेगा।

ii. कंपनी अधनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अतिरिक्त कसी भी प्रस्तावत

संबंधत पार्टी लेनदेन के लए शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग करते हुए भेजे जाने सूचना शामल होगी:

क. उपर्युक्त बिंदु क3 में यथा वनिर्दिष्ट कंपनी के प्रबंधकवर्ग द्वारा

कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए अग्रम अथवा निवेश

जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावत संबंधत पार्टी लेनदेन के मूल्य द्वारा

च. कोई अन्य जानकारी, जो प्रासंगक हो सकती है।

जिन्हें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है

निम्नलखत संबंधत पार्टी लेनदेन के लए लेखापरीक्षा समति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

i. कंपनी के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में एक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मक को प्रतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधत कोई भी लेनदेन, जिसमें व्यवसाय के सामान्य क्रम में कए गए उचत व्यवसाय और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामल है।

ii. कोई भी लेनदेन, जिसमें संबं धत पार्टी का हित केवल कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के स्वा मत्व से उत्पन्न होता है और ऐसी प्रतिभूतियों के सभी धारकों को संबं धत पार्टी के समान हितलाभ प्राप्त होता है।

लेनदेन, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं अथवा असंबंधत नहीं हैं

कंपनी अधनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमाओं से असंबं धत नहीं हैं, उन्हें भी सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन

बशर्ते क लेखापरीक्षा समति का अनुमोदन लेने और शेयरधारक के संकल्प को पारित करने की आवश्यकता निम्नलखत के लए लागू नहीं होगी:

जिनके खाते कंपनी के साथ समेकत हैं और अनुमोदन के लए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे गए हैं।

जिनके खाते ऐसी नियंत्रक कंपनी के साथ समेक्त होते हैं और शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लए आम बैठक में रखे जाते हैं।

स्पष्टीकरण* "सरकारी कंपनी (कंपनियों) का अर्थ, कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में यथा परिभाषत सरकारी कंपनी है।

आरपीटी का प्रकटन और रिपोर्टिंग

i. कंपनी द्वारा कए गए प्रत्येक संबंधत पार्टी लेनदेन को ऐसे लेनदेन में प्रवेश करने के औचत्य के साथ शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भत कया जाएगा। ऐसे प्रकटन के लए मुख्य वत्तीय अधकारी जिम्मेदार होगा। कंपनी सचव/अनुपालन अधकारी, कंपनी अधनियम, 2013 के तहत रखे जाने वाले संवदा रजिस्टर में आवश्यक प्रवष्टियां भी करेंगे।

ii. कंपनी निगम सामाजिक दायित्व पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही आधार पर संबंधत पार्टियों के साथ सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों के ववरण का प्रकटन करेगी।

iii. कंपनी सेबी (एलओडीआर) में यथा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, संबंधत पार्टी लेनदेनों के प्रकटन को समेकत आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षक परिणामों के लए प्रासंगक लेखा मानकों में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशत करेगी।

iv. निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में अधनियम और सेबी सूचीबद्धता वनियमों के नियम 23 के तहत आवश्यक संबंधत पार्टी लेनदेनों का ववरण होगा।

जो पहले से अनुमोदित नहीं हैं

i. यदि कंपनी को कसी आरपीटी के बारे में पता चलता है, जिसे इस नीति के तहत अनुमोदित यथासंभव शीघ्रता यथासंभव व्यवहार्यता से रखा जाएगा, जैसाक इस नीति के अनुसरण में और

अनुपालन में अपेक्षत है।

ii. समति या बोर्ड या शेयरधारक, ऐसे लेनदेन से संबंधत सभी प्रासंगक तथ्यों और परिस्थितियों कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा, निवेदन है क आम तौर पर आईटीडीसी का निम्नलखत संबंधत पार्टियों के साथ लेनदेन होता है:

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मक (केएमपी): आईटीडीसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो हमारे मामले में पर्यटन मंत्रालय है। सरकारी नामत निदेशक भारत सरकार के कर्मचारी हैं, इसलए सरकारी नामत निदेशकों को कसी पारिश्रमक का भुगतान नहीं कया जाता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्य निदेशक, निगम के पूर्णकालक कर्मचारी हैं और उन्हें नियुक्ति की शर्तों और निगम के नियमों के अनुसार वेतन/भत्ते और अन्य सुवधाएं (आईटीडीसी प्रशासन प्रभाग के दिनांक 22.01.2020 के परिपत्र के अनुसार आधकारिक लैपटॉप और कार्यालय बैग शामल हैं) प्रदान की जाती हैं। स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान कया जाता है।

समय-समय पर आईटीडीसी के बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित आईटीडीसी के होटलों में कुछ रियायत और छूट की अनुमति दी जाती है।

संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियां: आईटीडीसी की सभी संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियां, कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत यथा परिभाषत सरकारी कंपनियां हैं।

****